

फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

आई सी आई सी आई होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय – आई सी आई सी आई बैंक टावर, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुम्बई – 400051 तथा शाखा कार्यालय :- दुर्गा नर्सरी रोड, उदयपुर – 313001 (राज) जरिये प्राधिकृत अधिकारी नवीन पुनिया
– प्रार्थी

बनाम

1. श्री राधेश्याम माली पिता श्री भुरा लाल माली निवासी – माली का मौहल्ला, गांव – गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा, जिला-राजसमन्द (राज) – ऋणी
2. श्रीमती देउ देवी पत्नी श्री राधेश्याम माली निवासी – माली का मौहल्ला, गांव गिलुण्ड, सांवरिया जी के मन्दिर के पास, तहसील – रेलमगरा, जिला – राजसमन्द (राज) – सहऋणी

किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट

पत्रावली संख्या 05/2023

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक 26.06.2023</p> <p>प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी आई सी आई सी आई होम फायनेंस कम्पनी लिमिटेड उदयपुर ने दिनांक: 16.01.2023 को इस न्यायालय में अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>अप्रार्थीगण ने प्रार्थी कम्पनी से जरिये ऋण करार संख्या LHBLW00001291046 के द्वारा 7,20,979/- अक्षरे सात लाख बीस हजार नौ सौ उनासी रुपये का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुनः भुगतान की सिक्योरिटी के पेटे अपनी अचल सम्पत्ति – श्री राधेश्याम माली पिता श्री भुरा लाल माली के नाम भूमि एवं निर्माण आवासीय संपत्ति पट्टा नं.- प.स.रे./23-क/2860 जिसका का क्षेत्रफल 4625 वर्ग फीट है जो कि गांव – गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा, जिला – राजसमन्द (राज) को प्रार्थी कम्पनी के पास रहन किया। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी के उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सकें और दिनांक 09.04.2021 को ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम डिफाल्ट होने पर अप्रार्थीगण के उक्त ऋण खाते को एन.पी.ए घोषित कर दिया है। प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण के ऋण खाता संख्या LHBLW00001291046 में बकाया रुपये 7,54,480/- रुपये अक्षरे सात</p>	



लाख चौपन हजार चार सौ अस्सी रूपये रूपये मात्र रूपये मात्र बकाया रकम व ब्याज दिनांक 24.05.2021 तक शेष व देय निकलते हैं की मांग हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 28.05.2021 को एक मांग नोटिस भी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. डाक के माध्यम से अप्रार्थीगण को उनके ज्ञात पतों पर प्रेषित किया जो कि अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गये, परन्तु उक्त नोटिस की जानकारी व प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी कम्पनी की बकाया ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। यह कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त ऋण अवधि की पुर्न भुगतान के लिए जो सम्पत्ति रहन रखी है। उसका प्रार्थी कम्पनी में रहन दस्तावेजों के अनुसार विवरण इस प्रकार है। श्री राधेश्याम माली पिता श्री भुरा लाल माली के नाम भूमि एवं निर्माण आवासीय संपत्ति पट्टा नं.- प.स.रे./23-क/2860 जिसका का क्षेत्रफल 4625 वर्ग फीट है जो कि गांव-गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा, जिला - राजसमन्द (राज) प्रार्थी कम्पनी उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कम्पनी प्रकरण में वर्णित सिक्कूरिटी रहनशुदा सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने का अधिकारी है।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा ऋणी तथा सहऋणी को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांक: 28.05.2021 को जारी किया गया था। आवेदक बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ-पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी आई सी आई सी आई होम फायनेंस कम्पनी लिमिटेड उदयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पत्ति का विवरण :- श्री राधेश्याम माली पिता श्री भुरा लाल माली के नाम भूमि एवं निर्माण आवासीय संपत्ति पट्टा नं. - प.स.रे./23-क/2860 जिसका का क्षेत्रफल 4625 वर्ग फीट है जो कि गांव-गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा, जिला-राजसमन्द (राज) जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी चतुर्सीमा पडौस निम्न प्रकार है कि पूर्व :- रमेश पिता मोहन दास जी का मकान, पश्चिम :- कैलाश पिता भुरालाल माली का मकान, उत्तर :- हेमराज पिता कालुराम माली का खेत, दक्षिण :- आम रास्ता हैं।

उपरोक्त प्रकरणाधीन सम्पत्ति किसी अन्य दीगर को अन्तरण नहीं की हो, किसी माननीय न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी आई सी आई सी आई होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड उदयपुर-313001 के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद कें दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी



आई सी आई सी आई होम फाइनेंस उदयपुर-313001 को नियमानुसार राजकोष में पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं० से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।



(नीलाभ सक्सेना)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द